

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-

तारीख

01. किशनलाल पिता लादुलाल जाति सेन उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. गोपी पिता लक्ष्मीनारायण जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. नन्दा पिता बरदा जाति नाई उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. हीरा पिता बरदा जाति नाई उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति नाई वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. किशनलाल पिता देबीलाल जाति अहीर वयस्क पेशा काश्त निवासी ~~बिजौलियां~~ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
06. रामनारायण पिता देबीलाल जाति अहीर वयस्क पेशा काश्त निवासी ~~बिजौलियां~~ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
07. गोपाल पिता देबीलाल जाति अहीर वयस्क पेशा काश्त निवासी ~~बिजौलियां~~ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र किशनलाल पिता लादुलाल जाति सेन उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा सुठियाल पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 23 पर अंकित आराजी संख्या 19 रकबा 5-12 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा सुठियाल पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 23 पर अंकित आराजी संख्या 19 रकबा 5-12 बीघा भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालसार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाडा